न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 02/2024
अनवान महेन्द्र कुमार बनाम इन्द्रजीत वगैरा
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

1. महेन्द्र कुमार पुत्र अमीचन्द्र जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. गेपीराम पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. पंकज कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. रामप्रकाश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. सतवीर गोदारा पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. उर्मिला देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. मोहनी देवी पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. तहसीलदार, राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेश बुढानिया– अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री विवेक बुढ़ानियां– अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:आदेश:– दिनांक :– 1-4-2024

उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो प्रार्थना के शीर्ष में दर्शाया गया है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम तहसील संगरिया के चक 19 एम.जे.डी. ज.सं. 2073–76 के खाता सं. 84/71 व खाता सं. 11/22 व खाता सं. 8/5 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खाता की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी क कब्जा काश्त की भूमि चक नं. 19 एम.जे.डी. के खाता सं. 84/71 के प.नं 109/182 मु.नं. 38 के कि.नं. 5/1 में टयूबवेल है। प्रार्थी के कब्जा काश्त इसी चक के खाता सं. 108/182 के मु.नं. 39 के कि.नं. 14 में पानी ले जाने हेतु कोई निर्धारित रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की भूमि चक नं. 19 एम.जे.डी. के खाता सं. 84/71 के प.नं. 109/182 मु.नं. 38 के कि.नं. 5/1 में टयूबवेल है। प्रार्थी अपनी कब्जा काश्त इसी चक के खाता सं. 108/182 के मु.नं. 39 के कि.नं. 14 में टयूबवेल पानी ले जाने हेतु चक नं. 19 एम.जे.डी. के प.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:34:07 IST
Reason: SelfAttested

181 मु.नं. 35 के किला नं. 23,24,25 में दक्षिण दिशा मे व प.नं. 109/182 मु.नं. 38 के किला नं. 3/1 व 8/1 मे पश्चिम दिशा मे व किला नं. 13 उतरी पश्चिम कोने में तथा 11,12 व प.नं. 108/182 मु.नं. 39 के किला नं. 15 के उतरी दिशा में भूमिगत पाइपलाइन स्वीकृत करवाना चाहता है। इसलिए प्राथी उक्त भूमिगत पाइपलाइन स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि अप्रार्थीगण चक नं. 19 एम.जे.डी. के प.नं. 109/181 मु.नं. 35 के किला नं. 23,24,25 में दक्षिण दिशा में व प.नं. 109/182 मु.नं. 38 के किला नं. 3/1 व 8/1 में पश्चिम दिशा में व किला नं. 13 उतरी पश्चिम कोने में तथा 11,12 व प.नं. 108/182 मु.नं. 39 के किला नं. 15 के उतरी दिशा में भूमिगत पाइपलाइन स्वीकृत करवा दे। परन्तु अप्रार्थीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किंतु बाद में प्रार्थी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए। बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्था पत्र बाबत में भूमिगत पाइपलाइन स्वीकृत का है जो 2 रूपए के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक नं. 19 एम.जे.डी. के प.नं. 109/181 मु. नं. 35 के किला नं 23,24,25 में दक्षिण दिशा में व प.न. 109/182 मु.नं. 38 के किला नं 3/1 व 8/1 में पश्चिम दिशा में व किला नं. 13 उतरी पश्चिम कोने में तथा 11,12 व प.नं. 108/182 मु. नं. 39 के किला नं. 15 के उतरी दिशा में भूमिगत पाइपलाइन डालने की स्वीकृति देने कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता बिना कोई प्रतिफल के अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत पाईप लाईन की स्वीकृति हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक 61 दिनांक 06.02.2024 द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में चक 19 एमजेडी के प.न. 109/181 मु.न. 35 के किला न. 23,24,25 के दक्षिण दिशा में व प.न. 109/182 मु.न. 38 के किला नम्बर 3/1, 8/2 के पश्चिम दिशा में एव किला नं. 13 की उतर पश्चिमी कोने से तथा किला नम्बर 11, 13 एवं प.न. 108/182 मु.न. 39 के किला नं. 15 के उत्तरी दिशा में भूमिगत पाईप लाईन डालना सिचाई के लिए आवश्यक स्त्रोत बतलाया।

तहसीलदार राजस्व संगरिया की मौका जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भाति अवलोकन किया गया। अत प्राथी की मांग/सिचाई सुविधा एवं अप्रार्थीगणों की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन डालने की स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

1. पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के [illegible] दुविधा नही हों।
2. प्रार्थी प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए [illegible]
3. शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी [illegible]
4. प्रार्थी द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थी लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।
5. पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:34:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Web Copy - Not Official

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थी को चक नं. 19 एम.जे.डी. के प.नं. 109/181 मु.नं. 35 के किला नं 23,24,25 में दक्षिण दिशा में व प.न. 109/182 मु.नं. 38 के किला नं 3/1 व 8/1 में पश्चिम दिशा में व किला नं. 13 उतरी पश्चिम कोने में तथा 11,12 व प.नं. 108/182 मु.नं. 39 के किला नं. 15 के उतरी दिशा में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालन की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन में किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 1-4-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:34:07 IST
Reason: SelfAttested